न्यायालय तहसीलदार, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 72/24

निर्णय दिनांक 19/4/24

सरकार जरिये

पटवार हल्का रामपुरिया

बनाम

श्री सत्यनारायण पिता कन्हैयालाल पारीदार निवासी बारोदिया जिला नीमच M.P

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

पत्रावली आज मुकाम बेगूं पर पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रामपुरिया ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि श्री सत्यनारायण पिता कन्हैयालाल ने तहसील बेगूँ के ग्राम रामपुरिया में स्थित आराजी नम्बर 808 रकबा 0.025 किस्म आ० चरागाह पर दोराने सम्वत् 2080 खरीफ में अनाधीकृत रूप से भूमि को सीमेन्ट रोड बनाकर अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) एवं धारा 91(6) एल.आर.एक्ट में जारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतिकमी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षेत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को ग्राम रामपुरिया में स्थित खसरा नम्बर 808 रकबा 0.025 किस्म आ० चरा० भूमि से बेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 1.00 रू. का 50 गुणा राशि 50/- रूपये आरोपित किये जाते है। जो वसूल हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 28.01.11 सिविल अपील संख्या नम्बर 1132/2011 व एस.एल.पी.(सी) नम्बर 3109/2011 श्री जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य के अनुसार चरागाह भूमिया आवंटन/नियमन नही की जा सकती है।

निर्णय बमुकाम लिखाया जाकर सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

तहसीलदार
तहसीलदार
बेगूं, जिला चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharmendra Swami
Date: 2024.06.12 16:08:19 IST
Reason: SelfAttested